

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी  
(राजस्थान)

संख्या . SO/E-II/Misc/2020

दिनांक 23-03-2020

**कार्यालय ज्ञापन**


विषय:- कोरोना महामारी के संक्रमण के खतरे को देखते हुए संस्थान को अस्थायी रूप से  
(22-03-2020 से 31-03-2020) बंद किये जाने के संदर्भ में

संदर्भ:- राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या क्रमांक प 1 (1) चिस्वा / गुप- 2/2020  
दिनांक 22-03- 2020.

राजस्थान सरकार (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) द्वारा जारी राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (2) के अनुसार कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 22-03-2020 से 31-03-2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी / अर्द्धसरकारी /स्वायत्तशासी संस्थाएं आदि को पूर्णतः बन्द किये जाने का निदेश हुआ है।

अतः उक्त आदेशों की कड़ाई से अनुपालना करने हेतु निदेशक महोदय ने संस्थान को दिनांक 22-03-2020 से 31-03-2020 तक अस्थायी रूप से अगले आदेश तक बंद किये जाने का आदेश दिया है। अतः दिनांक 22-03-2020 से 31-03-2020 तक संस्थान बंद रहेगा ।

राजस्थान सरकार द्वारा आदेश संख्या प 1 (1) चिस्वा / गुप- 2/2020 दिनांक 22-03-2020 की प्रति सलग्न है ।

  
23/03/2020  
(विनोद कुमार )

प्रशासनिक अधिकारी

**प्रतिलिपी:**

1. निजी सचिव, निदेशक कार्यालय
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ गुप लीडर
3. सीरी वेबसाइट- कृपया प्रमुख, एनएमसी सीरी वेबसाट पर अपलोड करें।
4. कार्यालय प्रति
5. समस्त सूचना पट्ट